मोटी मंथली न देने वालों पर ही छापे पड़ते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सुधी पाठकों ने पढ़ा होगा कि किस तरह शहर में जिस्म दलालों ने अपने धंधों का ट्रेंड बदलकर उन्हें मसाज पार्लरों का नाम देकर जगह-जगह पार्लर खोल रखे हैं। दिनांक 1 से 15 सितम्बर के अंक में मज़दूर मोर्चा ने पुलिस संरक्षण में चलता देह व्यापार व जुआ शीर्षक नाम से खबर छापी थी। जिसके परिणाम-स्वरूप थाना सेंट्रल पुलिस ने सितम्बर के पहले सप्ताह में सैक्टर 12 में बने कई मालों में रेड मार कर मसाज पार्लरों में हो रहे देह व्यापार व ऑन लाइन कैसिनो को बंद करवाया। पुलिस ने मैनहट्टन मॉल में चल रहे पहली मंजिल पर लक्की सरदार के मसाज पार्लर, दूसरी मंज़िल पर चल रहे ऑन लाइन कैसिनो व किसिंग सैंटर की तरफ़ झांका तक नहीं । मैनहट्टन मॉल में आज भी धड़ल्ले से देह व्यापार व ऑन लाइन कैसिनो का धंधा बेख़ौफ होकर चलाया जा रहा है।

दिनांक 10-9-14 को देर रात तक भी इन मसाज पार्लरों में जमकर वेश्या वृत्ति होती रही। सूत्रों के अनुसार सैक्टर 12 मॉलों में पुलिस रेड के बाद मैनहट्टन मॉल में मसाज पार्लरों व ऑन लाइन कैसिनो संचालकों ने मिलकर एक मोटी रकम सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज व सी.आई. ए. स्टाफ़ को दी। पुलिसकर्मी अक्सर इन मसाज पार्लरों की सेवाऐं लेते रहते हैं। सूत्रों अनुसार सैक्टर 16 चौकी इंचार्ज मसाज पार्लर की मंथली के साथ मसाज की सेवाऐं भी दिन-प्रतिदिन लेते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ़ लक्की सरदार बड़ी ही बेशर्मी से कहता है चौकी इंचार्य व सी.आई.ए. वाले तो कच्छा-बनियान, जूते-जुराब तक उसकी दलाली की कमाई से पहनते हैं। भला उनकी क्या मजाल वो मेरे पार्लरों की तरफ़ देख तो जाएं। खुद ही लक्की का कहना है कि सी. आई. ए. स्टाफ़ के एक एस.आई. का उसे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। एस.आई. ने लक्की से कह रखा है कि जब भी तेरे यहां रेड लगेगी एक-आध घंटे पहले तुझे फ़ोन पर सूचना मिल जाएगी। लक्की सरदार यह कहते हुए भी सुना गया है कि एक तरफ़ वह पुलिस को मंथली दे रहा है वहीं दूसरी तरफ़ प्रोटैक्शन के नाम पर गुण्डा टैक्स भी 15 से 20000 रु.महीना दे रहा है

यदि पुलिस और लक्की सरदार का तालमेल कहीं बिगड़ता है तो उसे सही करने का जिम्मा किसिंग सैंटर संचालक नरेन्द्र का है। जो कि मैनहट्टनमॉल में हो रहे गोरख धंधे करने वालों से मंथली लेकर चौकी इंचार्ज व सी आई ए स्टाफ़ तक पहुंचाता है।

दिनांक 25 अगस्त को मैन हट्टनमॉल में मंथली को लेकर किसिंग सैंटर मालिक व गुण्डा टैक्स वसूलने वाले लड़कों में खूब मारपीट भी हुई।

शहर का शायद ही कोई मॉल ऐसा हो जिसमें ये काले धंधे न होते हों। इन्हीं काले धंधों की बदौलत मॉलों में बंद पड़ी दुकानों में अब रौनक आ गयी है। जिन दुकानों को कोई किसी भी भाव लेने को तैयार नहीं था आज मुंह मांगे दामों पर लेने को तैयार हैं ये काले धंधेबाज़। पुलिस की रेड तो मात्र दिखावे तथा अपनी मंथली बढाने के लिये की जाती है। यदि पुलिस चाहे तो किसी भी स्थान पर ये काले धंधे क्षण भर को भी चल नहीं सकते।

15 अक्टूबर को मतदान तथा 19 को परिणाम से तय होगा कौनसा गिरोह 5 साल तक लूटेगा प्रदेश को

फ़रीदाबाद (म.मो.) चुनाव की रणभेरी बज गयी है। चुनावबाज मैदान में उतर चुके हैं। टिकटों के लिये भयंकर मारा-मारी चल रही है। इस दल का नहीं तो उस दल का सही। किसी का तो टिकट मिले। मतलब तो एक ही है कि किसी भी तरह सत्त में भागीदारी मिल जाये और फ़िर लूट का सिलसिला चलाया जा सके।

चुनाव के इस दंगल में तीन मुख्य दावेदार हैं-कांग्रेस, भाजपा व लोकदल। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस करीब दस बरसों से प्रदेश को लूटने में जुटी हुई है। उधर भाजपा व लोकदल इतने ही समय से भूखे डकरा रहे हैं। जहां हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेसी अपनी लूट के अधिकार को कायम रखने के लिए पुरजोर कोशिश में करोड़ों-अरबों खर्च कर रहे हैं; वहीं इसी अधिकार को पाने के लिये चौटाला परिवार तथा भाजपाई कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं।

इन तीन बड़े खिलाड़ियों के अलावा तीन छोटे खिलाड़ी कुलदीप बिशनोई, गोपाल कांडा व विनोद शर्मा भी लूट के लिये दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन तीनों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षायें इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ये किसी भी दल के मातहत न रहकर स्वतंत्र रूप से लूट बटोरना चाहते हैं। जनाधार के नाम पर इनके पास केवल सत्ता में रहकर लूटा गया काला धन है। इसी धन के बल पर जोड़े गये भाड़े के समर्थकों के सहारे ये लोग सत्ता प्राप्ति के हसीन सपने देख रहे हैं।

चुनाव प्राचार में जुटे ये सभी गिरोह मतदाता को भ्रमित करने के लिये तरह-तरह के सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, तरह-तरह के वायदे कर रहे हैं। हुड्डा सरकार ने तो चुनाव घोषणा से पूर्व जम कर सरकारी रेवड़ियां बांटी हैं तो दूसरों ने वायदों की झड़ी लगा दी। लेकिन वास्तवमें उद्देश्य सबका एक ही है-लूट। उद्देश्य सबका एक ही है लूट के विभिन्न जरियों पर कब्ज़ा करना। सी एल यू की दुकानदारी में अरबों कमा चुके हुड्डा के बाद अब चौटाला और भाजपाई इस दुकान को कब्ज़ाने की फ़िराक में हैं। चौटालों को तो विश्वास है कि सत्ता मिल गयी तो जेल व मुकदमों से भी निजात मिल जायेगी

सत्ता में आनेवाला गिरोह ही तय करेगा कि थानों व चौकियों में लूट का पटा किन्हें किन्हें दिया जायेगा। तहसील व ही अन्य कार्यालयों में लूट का लाइसेंस किसे मिलेगा। पत्थर व यमुना रेत की खदानों से लूट का ठेका किसे मिलेगा। विकास के नाम पर जारी सरकार का धन किसकी जेबों में जायेगा। भर्ती व तबादला उद्योग कौन-कौन लोग चलायेंगे। इसी लूट कमाई का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिये भेड़ की खाल ओढे भेड़िये जनता को बरगलाने के लिये दिन-रात कड़ी मशक्कत के साथ-साथ करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं। यह खर्च उनके लिये एक प्रकार का पूंजी निवेष है। करोड़ों लगायेंगे तो अरबों कमायेंगे।

जनता आज पूरी तरह से विकल्पहीनता की स्थिति में हैं। उसके पास नागनाथ व सांपनाथ या बिच्छूनाथ में से चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हां विकल्प के नाम पर वोटिंग मशीन में सब से नीचे 'नोटा' का बटन जरूर लगा है। इसको दबाने का अर्थ होगा कि उन्हें उपरोक्त उम्मीदवारें में से कोई पसंद नहीं है।

किसी तरह मिले सत्ता मगर इस बार हांसिल हो
जहां सज़दा करे प्रजा वही दरबार हांसिल हो
कोई टूटे, कोई रूठे, कोई छोड़े, कोई तोड़े,
जुगत में हैं सभी कि लूट का अधिकार हांसिल हो।

- दिनेश रघुवंशी

कर्ण दलाल के इशारों पर नाचने वाली पुलिस ऐसे ही पिटेगी

पलवल (म.मो.) 4 सितम्बर को पलवल में पुलिस अधीक्षक समेत अनेक पुलिसकर्मी सैंकडों लोग़ों ने पिटते देखे। ये पीटने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सट्टेबाज़ व उनके समर्थक थे जिनसे ये पुलिस वाले खुद सट्टा चलवा कर हर माह लाखों की मंथली लेते हैं। पिछले दस बारह वर्ष से तो अन्य शहरों की तरह ही पलवल भी सट्टे का गढ़ बना हुआ है। इस सट्टे को यहां के प्रभावशाली नेता कर्ण दलाल का खुला संरक्षण किसी से छुपा नहीं है, पुलिस तो पहले ही ऐसे धंधों से मोटी कमाई करती है।

जानकार बताते हैं कि नरेश गांधी का लड़का क्रिकेट में सट्टा लगाकर लाखों रुपये हार गया था जिसे उसने देने से मना कर दिया। सट्टेबाज़ वसूली करने गांधी के घर में घुस गये। इस पर सट्टेबाज़ों व गांधी के परिवार वालों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में जब लोग एकत्रित होने लगे तो सट्टेबाज़ भागने लगे इस भागमभाग में गांधी परिवार का एक लड़का (कार को वापिस मोड़ने के दौरान उसकी) चपेट में आकर घायल हो गया। मामला पुलिस में चला गया। गांधी की भी पुलिस में अच्छी-खासी पैठ है। उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है इसलिए पुलिस का भी वह कमाऊ पूत है। दूसरे, वह भी कर्ण दलाल के खास चहेतों में से एक है। पहले तो पुलिस ने इस मामले में झगड़े की वे ही साधारण धाराएं लगाईं थी जो आम तौर पर आपसी झगड़े में लगती हैं इस पर गांधी ने अपनी ताकत दिखाते हुए कैम्प कॉलोनी में लगे नेताजी के पोस्टरों को फ़ड़वा दिया, कैम्प कॉलोनी के बाज़ार को बंद करवा दिया तथा पंजाबी सभा के नेताओं की मार्फ़त नेता पर दबाव बनाने पर इसमें धारा 307 और जुड़वा दी। इस पर सट्टेबाज़ भड़क गए। उन्हें नेताजी पर यकीन था कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वोटों का गणित गांधी के पक्ष में भारी था तथा ज्यादातर सट्टेबाज़ नेताजी के क्षेत्र से बाहर के थे।

जब मामला गंभीर बन गया तो सट्टेबाज़ों ने तीन सितम्बर की रात पलवल के मशहूर सट्टाकिंग की मार्फ़त पुलिस अधीक्षक से बात की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बातचीत के लिये बुलाया लेकिन डर के कारण वे उनके पास नहीं गए। अगले दिन सट्टेबाज़ों ने पलवल व फ़रीदाबाद तक से अपने उन समर्थकों को बुलवा लिया जिनको नेताजी समेत अनेक सत्तादल के नेता अपने सभी कामों के लिये रिजर्व रखते हैं। इनमें इनके

परिजनों के अतिरिक्त अन्य समर्थक भी थे। ये सभी सैंकड़ों की संख्या में पलवल विश्राम गृह के सामने एकत्र हो गए। वहां पर भाषणबाज़ी होने लगीऔर जी टी रोड पर जाम लगने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर पुलिस अधिक्षक स्वयं पहुंच गए उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिये बुलाया लेकिन वे कोई भी बात खुले में ही करने की बात पर अड़ गए। इस पर पुलिस अधीक्षक उनके पास आकर बात करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहां पर गरमा गरम बहस के दौरान एस पी को एक भाषणकर्ता ने जोर का तमाचा जड़ दिया। इस पर पुलिस भड़क गई। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर की भी पिटाई हो गई। इस पर पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस जाम में ईंटों से भरी एक ट्रेक्टर ट्राली वहां खड़ी थी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर ईंटों से हमला कर दिया। इस पर पुलिस वाले भाग निकले कुछ पुलिस वालों को काफ़ी चोटें भी आ गई। उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बुलाई गई। पुलिस आने के बाद, पुलिस वालों ने वहां खड़े वाहनों को पंचर कर दिया उसके बाद जो भी अपने वाहनों को लेने आया उसे ही पुलिस ने पकड़ लिया तथा जमकर पीटा। कई लोग़ों को पकड़कर बंद कर दिया कुछ लोग़ों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। भागे हुए लड़के अब अपने उन्हीं आकाओं पर दबाव बना रहे हैं जिनके सभी उलटे सीधे कार्य वो करते रहे हैं।

गौरतलब है कि पलवल में सट्टा बाकायदा इलाका बांटकर पुलिस चलवाती रही है। जब भी इलाके को लेकर सट्टेबाज़ों में कोई झगड़ा होता है तो पुलिस ही फैसला करती है कि किसका इलाका कहां से कहां तक रहेगा। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि तीन चार वर्ष पहले सट्टे के इलाकों को लेकर एक पुलिस इंस्पेक्टर व दो कांस्टेबल जो एक सट्टेबाज़ का पक्ष लेकर दूसरे सट्टेबाज़ों के अड्डे पर छापा मारने चले गए थे, जो कि उनके क्षेत्र से बाहर का था; इस पर उनको सट्टेबाज़ों ने बंधक बना लिया। बताते हैं कि बड़े नेताजी के हस्तक्षेप के बाद ही वो छोड़े गए थे। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुकुम सिंह ने दोनों पक्षों को बैठाकर इलाकों का बंटवारा करवाया था। सट्टेबाज़ों से मिली सूचना के अनुसार लगभग दो वर्ष पहले भी पलवल की एक पुरानी बस्ती में सट्टेबाज़ों की मुखबरी पर पुलिस ने छापा मारा था। उस छापे में पुलिस ने पचासों किलो गांजा व सैंकड़ों रजिस्ट्रियां बरामद दिखाई थी, लेकिन वहां पर मिले पौने दो करोड़ रुपये बरामदगी में दिखाए ही नहीं गए। इतनी बड़ी राशि को छोटे स्तर के पुलिस वाले तो डकार नहीं सकते थे, स्पष्ट है बंटवारा ऊपर तक हुआ होगा।

पूरे मामले को ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि कर्ण दलाल ने अपनी घटिया एवं स्वार्थपूर्ण राजनीति को चलाये रखने के लिये जहां सट्टेबाज़ गिरोहों को पाल रखा है, वहीं जाति-बिरादरी के नाम पर पंजाबी वोट बैंक में भी अपने पिट्ठु पाल रखे हैं। इस मामले में जब नेताजी के दोनों पालतू गुट आमने-सामने खड़े हुए तो नेता जी बुरी तरह से फंस गये। इसके चलते अब उनकी स्थिति ऐसी बन गयी कि न माया मिली न राम। चुनाव जीतने के हालात तो पहले से ही नहीं थे, रही सही कसर इस घटना ने पूरी कर दी।

जनता के साथ-साथ पुलिस की जो दुदर्शा हुई, उसके लिए खुद पुलिस अधीक्षक पतराम सिंह पूरी तरह से दोषी हैं। जो पुलिस अधिकारी किसी राजनेता और वह भी कर्ण दलाल जैसों के इशारों पर काम करेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होता है। अकेले एस पी पतराम नहीं इनके ऊपर बैठे उच्चाधिकारी भी बराबर के दोषी हैं, जो अपनी सुपरवाइज़री ड्यूटी में कोताही करते आ रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि थाने-चौकियों में सिपाहियों से लेकर एस पी तक कर्ण की मर्ज़ी से तैनात होते हैं जो हर काम उनके इशारों पर ही करते हैं।

इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि पतराम सिंह में रणनीतिक सूझ-बूझ का नितांत अभाव है। यदि उन्होंने थोड़ी सी भी अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो खुद तो पिटने से बचते ही, पूरी फोर्स भी सुरक्षित रहती।

फर्जीवाडा रोक पाने में पुलिस व अदालतें नाकाम

फरीदाबाद (म.मो.) जिला अदालतों में फर्जी जमानतें देने का खेल खूब चलता है। इसकी जानकारी अदालतों को भी है और पुलिस को भी लेकिन दोनों ही इस खेल को रोकने में असमर्थ हैं। हों भी क्यों नहीं, चाहे अदालतें हों या पुलिस विभाग, दोनों के कारिंदे इस खेल में शामिल जो हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण है, अनंगपुर डेयरी सैक्टर 37 का रहने वाला पवन लोहिया। पवन की कहानी यह है कि पवन की कार की रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी) 2011 में खो गई थी। उसने उसी दौरान सराय ख्वाजा थाने में उसकी गुमशुदगी की रपट भी लिखवा दी थी, लेकिन 2012 में अचानक एक दिन पवन के नाम से अदालत का पेशी सम्मन पहुंचा। सम्मन देखकर पवन व उसके परिवार वाले परेशान हो गए। पवन जब पेशी पर पहुंचा तो पता चला कि उसके नाम पर किसी ने जमानत दे रखी है और आरोपी पेशी पर नहीं आया तो उसके नाम सम्मन जारी हो गए हैं। यह सुनकर पवन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसने तो कभी किसी की जमानत नहीं दी थी। जैसे तैसे उसने पता किया तो पता चला कि उसकी जो कार की आरसी गुम हो गई थी, उस आरसी की कापी जमा करा कर जमानत दी गई थी, इतना ही नहीं, जिस आदमी ने उसकी आरसी का इस्तेमाल किया था, उसी ने पवन के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी बनवा लिया, जिस पर फोटो अपना और पता पवन का लिखवा दिया, इस ड्राइविंग लाइसेंस को उसने पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया था। इस पर उसने अदालत के समक्ष अपनी सारी स्थिति स्पष्ट की और एक साल पहले सराय ख्वाजा में गुमशुदगी की रपट दिखाई, तब जाकर अदालत ने उसे राहत दे दी,लेकिन उस समय अदालत ने यह नहीं सोचा कि उसकी जगह जिस फर्जी जमानती ने जमानत दी है, उसके साथ क्या किया जाए।

बस यही वजह थी कि पवन को जिला अदालत की किसी और कोर्ट से फिर से सम्मन आ गया। बेचारा फिर कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि उसी आदमी ने फिर से जमानत दे दी है और जिसकी जमानत दी है, वह कोर्ट नहीं पहुंचा है। कोर्ट को बताया कि कोई फर्जी आदमी उसकी आरसी और लाइसेंस दिखाकर जमानत दे गया। यहां से भी पवन की जान छूटी तो फिर तीसरी कोर्ट से सम्मन आ गया। पिछले साल अप्रैल माह में जिला अदालत में तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एएस चालिया की अदालत में लूट के एक मामले में पवन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सुनील नामक व्यक्ति की जमानत दी गई थी।जब सुनील अदालत में पेश नहीं हुआ तो पवन को सम्मन भेजा गया। पवन के अदालत में स्थिति स्पष्ट करने के बाद अदालत के आदेश पर फर्जी जमानती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बावजूद इसके वह फर्जी जमानती जिला अदालत की लगभग हर कोर्ट में पवन के नाम पर जमानत देता रहा। कमाल देखिए कि सीजेएम की अदालत जिस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी है, उसको पुलिस वाले नहीं पकड रहे, बल्कि सीजेएम कोर्ट के साथ लगती कोर्टों में वह आदमी धड़ल्ले से जजों की आंख में धूल झोंककर फर्जी जमानत दे रहा था और जब जिले की सभी अदालतों की आंखों में धूल झोंक ली तो अब वह गुडगांव पहुंच कर फर्जी जमानतें दे रहा है और बेचारा पवन अब गुडगांव की अदालतों के चक्कर काट रहा है।

सवाल यह उठता है कि जब जिला अदालत की एक कोर्ट को यह पता चला कि एक आदमी फर्जी जमानत करा रहा है तो इसकी सूचना जज ने जिला जज को क्यों नहीं दी और अगर दी तो जिला जज की ओर से सभी अदालतों को इस बारे में निर्देश जारी क्यों नहीं किया गया, ताकि वह व्यक्ति जमानत कराने आता तो पकडा जाता या जमानत कराने नहीं आता। इतना ही नहीं, इस मामले में केवल फर्जी जमानती ही नहीं, बल्कि शिनाख्ती, जो जमानत कराने वाले की शिनाख्त् भी करता है की जांच क्यों नहीं की गई। इससे पता चला कि क्यों कहा जाता है कि हमारा कानून अंधा है।